<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, वैशाली, हाजीपुर</u>

सत्र वाद संख्या 173/2024
सदर थाना हाजीपुर कांड संख्या 358/2013

पश्चात्

22.05.2025 अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आदेश दिनांक 10.09.2024 का अनुपालन कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है जिसके अनुसार चितरंजन कुमार और बिगन पासवान का अभिलेख अलग करना था। **कार्यालय तत्काल उनके संबंध में अलग से अभिलेख खोलेंगे।** और उनके विरूद्ध उक्त अभिलेख में अजमानतीय अधीपत्र निर्गत करेंगे। यह वाद जुगनु ठाकुर, अरबिन्द शर्मा, रंजीत शुक्ला, अशोकनाथ शुक्ला और रजनीश कुमार के विरूद्ध चल रहा है जिसमें दिनांक 10.09.2024 को ही धारा 302/34 एवं 120बी भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप गठित किया गया है तथा साक्षियों पर सम्मन निर्गत किया गया है किन्तु अभी तक साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि इस वाद के सूचक **सरकारी साक्षी विजय महतो तत्कालीन थानाध्यक्ष सदर थाना हाजीपुर है। कार्यालय इनके विरूद्ध जमानतीय वारंट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निर्गत करे। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह सदर अस्पताल हाजीपुर पर अधीक्षक सदर अस्पताल के माध्यम से सम्मन निर्गत करे। इस आदेश की एक प्रति पुलिस अधीक्षक वैशाली और अधीक्षक सदर अस्पताल हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे।** चूकि यह मामला वर्ष 2013 ई0 का है। आदेश दिनांक 19.11.2024 से लेकर 28.04.2025 में लिपिकीय भूलवश दो अभियुक्तों के विरूद्ध अजमानतीय अधीपत्र अप्राप्त होने के संबंध में चर्चा है जो कि नहीं होनी चाहिए और इसे आज सुधारा जाता है। पीठलिपिक को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सतर्कतापूर्वक कार्य करे।

दिनांक 19.06.2025 को अभियोजन साक्ष्य हेतु

लेखापित
(गौरव कमल)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय